(वाद संख्या–4109/16)

23.10.2019

परिवादी, नारायण सिंह की पुत्रवधु, संजनी देवी, उपस्थित है। परिवादी नारायण सिंह की पुत्रवधु संजनी देवी द्वारा आयोग को सूचित किया गया है कि परिवादी की मृत्यु हो गयी है तथा वह अपने ससुर की ओर से दायर प्रसंगाधीन परिवाद में इन्टरभेनर बनना चाहती है।

प्रस्तुत मामला परिवादी नारायण सिंह द्वारा उसके परिवार के विरूद्ध, रंजना देवी स्व0 राहुल सिंह व रंजना देवी की गोतनी, सीता देवी, द्वारा फसल लूटने (गंगौर थाना कांड सं0–336/2016), रंजना देवी के पति राहुल सिंह की हत्या करने (गंगौर थाना कांड सं0–802/2015) तथा गंगौर थाना कांड सं0–793/2015 में गलत अभियुक्तिकरण के संबंध में दिया गया है।

उपरोक्त के संबंध में पुलिस अधीक्षक, खगड़िया द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि मृतक राहुल सिंह की भाभी, श्रीमती सीता देवी द्वारा भा0द0स0 की धाराओं, 147/ 148/ 149/ 323/ 427/ 504/ 506 व 27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत संस्थित गंगौर थाना कांड संख्या–793/15, दिनांक–17.12.2015 में परिवादी के पुत्र उमेश सिंह व अन्य की संलिप्तता को सत्य पाया गया है, जबकि मृतक राहुल सिंह की पत्नी रंजना देवी के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर भा0द0स0 की धारा 302/34 तथा 27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत संस्थित गंगौर थाना कांड सं0–802/2015 में परिवादी के पुत्र 1. उमेश सिंह, 2. महेश सिंह, 3. किशोर सिंह व 4. विजय सिंह की संलिप्तता को सत्य पाया गया है। वर्तमान में उपरोक्त दोनों कांड अनुसंधानन्तर्गत है। पुलिस अधीक्षक, खगड़िया द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि उभय पक्ष के बीच भूमि विवाद है तथा परिवादी द्वारा अपने पुत्र, उमेश सिंह व महेश सिंह, के प्रतिरक्षा हेतु, सोच–समझकर, आयोग को प्रसंगाधीन आवेदन दिया गया है, जो पूर्णतः असत्य है।

संचिका के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त सभी आपराधिक मामले वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन हैं।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि परिवादी का रंजना देवी के परिवार वालों से भूमि विवाद है तथा इस भूमि विवाद में रंजना देवी के पति राहुल सिंह की हत्या भी हो गयी है, जिसमें परिवादी के पुत्र व उसके 'सम्बन्धी' अभियुक्तगण है। परिवादी अपने सम्बन्धियों के गलत अभियुक्तिकरण के सम्बन्ध में न्यायालय से वांछित अनुतोष हेतु याचना कर सकते है।

अतः उक्त के आलोक में प्रस्तुत मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर इसे बंद किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी के पुत्रवधु संजनी देवी पत्नी उमेश सिंह, साकिन–खड़गी तिरासी, थाना–गंगौर ओपी, जिला–खगड़िया को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

<u>सहायक निबंधक</u>